

प्रेषक,

निदेशक,  
संक्रामक रोग/वी०बी०डी०, उ०प्र०,  
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश,
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या-21फ/सं०रो०/ए०ई०एस०/जे०ई०डी०सी०एच०/2015/3909-3910 दिनांक 27 जुलाई, 2015

विषय: शासन की ए०ई०एस०/जे०ई० रोग नियंत्रण रणनीति के अन्तर्गत बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में डिप्लोमा-इन-चाइल्ड हेल्थ (डी०सी०एच०) दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया निदेशक संचारी रोग कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 21फ/सं०रो०/ए०ई०एस०/जे०ई०डी०सी०एच०/2015/3868-69, दिनांक 24.07.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त पत्र के सम्बोधन के बिन्दु-1 में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ एवं देवीपाटन मण्डल टंकण त्रुटि के कारण अंकित हो गया है।

उक्त को यथा संशोधित किया जाता है। संशोधन उपरान्त समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ एवं देवीपाटन मण्डल के स्थान पर समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश पढ़ा जाये। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

संक्रामक रोग, उ०प्र०

तद्दिनांक:

पत्रांक: 21फ/सं०रो०/ए०ई०एस०/जे०ई०डी०सी०एच०/2015/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग 8 ।
3. श्री ए०के० रावत, टेक्निकल डायरेक्टर, योजना भवन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक

संक्रामक रोग, उ०प्र०